उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ

कार्मिक- 4 (जे०सी०एम०) पत्रावली संख्या-7, ई०एम०/81 (संयुक्त सलाहकार समिति)
लखनऊ दिनांक 28.02.83 के अन्तर्गत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त

अध्यक्ष
अतुल त्रिपाठी
मो०-9415307404

उपाध्यक्ष
संतोष कुमार उपाध्याय
मो०-9415635031
प्रियंका मिश्रा
मो०- 9891594705

महामंत्री
अमित कुमार निर्मल
मो०-9452273850

संयुक्त मंत्री
लवी आर्या
मो०-9415259239
इंगिता पाण्डेय
मो०-8601969713

कोषाध्यक्ष
आशीष पाण्डेय
मो०-7905443606

प्रकाशन मंत्री
नेहा कुमारी
मो०-9313237768

सम्प्रेक्षक
लक्ष्मी शंकर बाजपेयी
मो०-9473979630

पत्रांक...34/2019-20 दिनांक...26.2.2020

सेवामें,

माननीय मुख्यमंत्री जी
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ|

विषय :**आबकारी निरीक्षक संवर्ग का पदनाम राजपत्रित पद प्रतिष्ठा के अनुरूप परिवर्तित करते हुए "क्षेत्राधिकारी (आबकारी) अथवा "क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी" किये जाने विषयक |**

महोदय,

कृपयापत्र के साथ संलग्न आबकारी आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 788 / पी.एस.-30 / संघ/ आ.नि. / 1997 दिनांक इलाहाबाद जून 30, 2010 का संज्ञान लेने की कृपा करें जिसमे आबकारी निरीक्षक संवर्ग के पदनाम को परिवर्तित कर क्षेत्राधिकारी आबकारी का पदनाम प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गयी है|

उक्त के परिप्रेक्ष्य में आबकारी निरीक्षक संघ के प्रत्यावेदन - दिनांक 26-09-2018, जोप्रमुख सचिव आबकारी को संबोधित है ,काभी संज्ञान लेने की कृपा करेंजिसमें आबकारी निरीक्षक संवर्ग के पदनाम को संवर्ग के राजपत्रित श्रेणी एवं समूह "ख" का हो जाने के कारण पद प्रतिष्ठा के अनुरूप परिवर्तित कर "क्षेत्राधिकारी-(आबकारी)" अथवा"क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी" किये जाने का अनुरोध किया गया है|

ध्यातव्य है कि पदनाम परिवर्तन किये जाने विषयक उपरोक्त अनुशंसा जिस समय प्रदान की गयीं तब संवर्ग अराजपत्रित श्रेणी का पद हुआ करता था| वर्तमान में संवर्ग समूह"ख" का राजपत्रित स्तर का पद है, जिसकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा के माध्यम से होती है| वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पदनाम परिवर्तन की उपरोक्त मांग और भी औचित्यपूर्ण हो जाती है|

Scanned with CamScanner

दीर्घ काल से लंबित पदनाम परिवर्तन की मांग एवं तद्क्रम में प्राप्त उक्तअनुशंसा के अनुपालन में शासन द्वारा अद्यतन कोई सार्थककार्यवाही न किये जाने से संवर्ग के सदस्यों में अत्यंत पीड़ा है।

इस विषम परिस्थिति में सम्बंधित पत्र एवं प्रत्यावेदन की प्रति संलग्न करते हुए महोदय से अनुरोध है कि आबकारी निरीक्षक संघ की पदनाम परिवर्तन की उपरोक्त मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उसे तदनुरूप परिवर्तित कराने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने की महती कृपा करें।

संघ सदैव आपका आभारी रहेगा।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

26.2.2020

(अतुल त्रिपाठी)

अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ

Scanned with CamScanner

संख्या 788 /पी0एस0–30/संघ/आ0नि0/1997

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
आबकारी विभाग,
बापू भवन, लखनऊ।

दिनांकःइलाहाबाद,जून, 30 ,2010

विषयः–आबकारी निरीक्षक संवर्ग का पदनाम परिवर्तित करते हुये राजपत्रित पद घोषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या 107(आ0मं0) ई–1/तेरह–2009 दिनांक 27.07.2009 एवं आबकारी निरीक्षक संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 15.07.2009 एवं 23.06.2010 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आबकारी निरीक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने ज्ञापन दिनांक 23.06.2010 , संघ के पूर्व ज्ञापन दिनांक 15.07.2009 के कम में प्रस्तुत किया है। उक्त ज्ञापनों के माध्यम से आबकारी निरीक्षक का पदनाम परिवर्तित कर क्षेत्राधिकारी आबकारी करने की मांग की गयी है। आबकारी निरीक्षक संघ की उक्त मांग के संबंध में पूर्व प्रेषित संस्तुति दिनांक 12.02.2003(छाया प्रति संलग्न) सहित, आबकारी निरीक्षक संवर्ग के कार्यदायित्वों, शैक्षिक योग्यता, चयन प्रकिया एवं शारीरिक अर्हता आदि का अन्य विमागों के समानांतर पदों से तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। संघ की पदनाम परिवर्तन करते हुये राजपत्रित पद मांग के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् हैः–

1– आबकारी विमाग प्रदेश को राजस्व आय देने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है । आबकारी राजस्व में उत्तरोत्तर अपेक्षित वृद्धि अर्जित करने के लिये विमाग का सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तर भी इसी के अनुरूप होना अपरिहार्य है। आबकारी निरीक्षक विमाग का मेरुदण्ड है जिसका मौलिक कार्य एवं दायित्व ही राजस्व अर्जन ,अनुरक्षण एवं इसमें वृद्धि प्राप्त करना है। आबकारी निरीक्षक का कार्य क्षेत्र कई थाना क्षेत्रों को मिलाकर होता है तथा कहीं कहीं तहसील स्तर से भी बड़ा है। आबकारी अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं आज के संगठित अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिये एक संशक्त आबकारी निरीक्षक संवर्ग, समय की मांग है। आबकारी विमाग राजस्व एवं पुलिस विमाग का एक समेकित विमाग है जिसमें आबकारी निरीक्षक को प्रवर्तन कार्यो में पुलिस का कार्य एवं दायित्व निर्वहन करना पड़ता है दूसरी ओर राजस्व प्राप्ति एवं वसूली में उसकी राजस्व अधिकारी की भूमिका रहती है।

2– उक्त के अतिरिक्त एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक का नारकोटिक्स अपराधों की धर–पकड़ का भी कार्य एवं दायित्व निर्धारित है जिसमें तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में लिये जाने का प्राविधान है । विस्तृत कार्यक्षेत्र एवं विविध महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्व, प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग लेते हुये संपादित किये जाने के लिये भी आबकारी निरीक्षक संवर्ग को राजपत्रित पद घोषित किया जाना उचित होगा।

3– यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत की जाने वाली समादेश याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र, राजपत्रित अधिकारी के द्वारा ही शपथित किया जा सकता है। जनपदों में एक मात्र सहायक आबकारी आयुक्त (राजपत्रित अधिकारी) की नियुक्ति के कारण कार्यो में कठिनायी एवं वैधानिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। आबकारी निरीक्षक संवर्ग को राजपत्रित घोषित किये जाने के उपरांत इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

4– उपरोक्त औचित्य के दृष्टिगत् आबकारी निरीक्षक संघ की यह मांग उचित प्रतीत होती है। अतः आबकारी निरीक्षक संघ की मांग के अनुरूप आबकारी निरीक्षक पदनाम परिवर्तित करते हुये, क्षेत्राधिकारी आबकारी का पदनाम देकर इसे राजपत्रित संवर्ग अधिसूचित किये जाने पर कृपया विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner